(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 28th **अगस्त** 2017

अधिसूचना

का.आ. एतद्द्वारा सामान्य सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि **मैसर्स इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सैल बायोलॉजी एण्ड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगलुरू (पैन : एएएटीआई7342डी)** नामक संगठन को, केंद्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 (उपरोक्त नियमावली) के नियम-5ग तथा 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उपरोक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के उद्देश्य के लिए **"वैज्ञानिक शोध संघ"** के वर्ग में **निर्धारण वर्ष** 2016-17 तथा बाद के वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित किया गया है, नामत:

(i) अनुमोदित 'संगठन' का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक शोध करना होना चाहिए;

(ii) अनुमोदित संगठन, स्वयं ही वैज्ञानिक शोध करेगा;

(iii) अनुमोदित संगठन, वैज्ञानिक शोध के लिए प्राप्त की गई राशि के संबंध में अलग से एक बही खाते का रखरखाव करेगा जिसमें शोध के लिए प्रयोग की गई राशि को दर्शाया जाएगा, उपरोक्त अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार की बही का एकाउन्टेंट के द्वारा लेखा-परीक्षण करवाया जाएगा तथा इस प्रकार की लेखा परीक्षा को विधिवत रूप से हस्ताक्षर तथा सत्यापित करवा कर, मामले पर अधिकारिता वाले आयकर निदेशक या आयकर आयुक्त को, उपरोक्त नियम की धारा 139 की उपधारा के अंतर्गत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की देय तारीख तक प्रस्तुत किया जाएगा;

(iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक शोध के संबंध में, प्राप्त किए गए **अनुदानों** पर और आवेदन की गई राशि के संबंध में एक अलग विवरणी रखेगा तथा लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित इस प्रकार के विवरण की एक प्रति, ऊपर दिए गए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

2. केंद्र सरकार, अपने अनुमोदन को वापिस ले सकती है यदि अनुमोदित संगठन :-

(क) पैराग्राफ 1 के उपपैराग्राफ (ii) में दिए गए **अलग बही खातों** को बनाए नहीं रखता है; या

(ख) पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित इसकी लेखा रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं करता है; या

(ग) पैराग्राफ 1 के उपपैराग्राफ में उल्लिखित वैज्ञानिक शोध के लिए प्राप्त दान तथा आवेदित धनराशि के अपने विवरण प्रस्तुत नहीं करता है;

(घ) अपनी शोध गतिविधियों नहीं करता है अथवा उसकी अनुसंधान गतिविधियों को वास्तविक नहीं पाया जाता है; या

(ड.) उक्त नियमावली के नियम 5ग तथा 5घ के साथ पठित उक्त धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होता है तथा अनुपालन नहीं करता है।

अंकिता 28.08.17

(अंकिता पांडे)
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना संख्या 81 /2017
(फा.सं.203/29/2016/आईटीए-II)

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली